



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45062

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7973/2026

अशोक कुमार

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ओम प्रकाश यादव, योगेश चंद्र यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिवादियों को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश से असंतुष्ट महसूस करते हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील-लालगंज, जिला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे उप-जमा एवं भूमि अधिकार अधिनियम, 1950 की धारा 176 के तहत दायर दिनांक 04.02.2020 के बहाली आवेदन (अशोक कुमार बनाम राम दुलार) का मामला संख्या RST/13973/2025 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या T202515060413973) पर शीघ्रता से निर्णय लें।
4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निस्तरण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील-लालगंज, जिला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले में दायर पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र पर विधि के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः प्रमाणित प्रति प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने के भीतर निर्णय लें, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।